प्रेषक,

निदेशक,
वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, उ0प्र0,
कक्ष संख्या 148, जवाहर भवन,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः कम्प्यूटर सेल/2015/1606 लखनऊः दिनांक : 22 अप्रैल, 2016

विषय : **IPAO के माध्यम से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों का वेतन बिल बनाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में IPAO से वेतन बिल बनाने का शासनादेश निर्गत हो चुका है तथा कोषागारों को शासनादेश में ही निर्देशित है कि राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों का वेतन बिल कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर पर IPAO के माध्यम से बनाया जाय। कोषागारों के डाटा परीक्षण के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभी भी कुछ कोषागारों द्वारा IPAO के माध्यम से सेन्ट्रल सर्वर पर जिले के समस्त राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन बिल नहीं बनाया जा रहा है अथवा कुछ कोषागारों में कभी–कभी बीच–बीच में ब्रेक कर दिया जाता है जो उचित नहीं है। आप सभी अवगत है कि कर्मचारियों से संबन्धित डेटा समय–समय पर शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाता है और यदि IPAO से सभी कर्मचारियों का वेतन बिल नहीं बनाया जायेगा तो कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना गलत होगी तथा उनका डेटा भी त्रुटिपूर्ण होगा।

अतः समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अपने–2 जनपद में अपने जिले के समस्त कर्मचारियों का वेतन बिल IPAO के माध्यम से बनवाना सुनिश्चित करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि प्रत्येक माह सभी कर्मचारियों का वेतन बिल IPAO के माध्यम से ही बने।

भवदीय,

(चन्द्रदेव राम यादव)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(चन्द्रदेव राम यादव)
निदेशक।